पांच हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया लिपिक

वेतन वृद्धि लगाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत, जनजातीय कार्य विभाग में ट्रैप से मचा हड़कंप, 12 सदस्यीय टीम ने की बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 29 मई। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे लोकायुक्त संगठन ने आज शुक्रवार को बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बाबू मुन्नालाल वर्मा को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता श्रवण तिवारी निवासी ग्राम नौढ़िया वीरान, थाना जियावन, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना देवसर में भृत्य पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने लोकायुक्त रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2024 से 2026 तक उनकी वेतन वृद्धि नहीं लगाई गई है। जब उन्होंने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बाबू मुन्नालाल वर्मा से वेतन वृद्धि एवं एरियर राशि जारी करने का निवेदन किया, तो आरोपी ने 7 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन कराया गया। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप की योजना बनाई गई। महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश एवं उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में आज 29 मई को कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार का अपराध दर्ज

लोकायुक्त टीम ने आरोपी मुन्नालाल वर्मा को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ट्रैप कार्रवाई में निरीक्षक एस राम मरावी, निरीक्षक संदीप भदौरिया सहित 12 सदस्यीय टीम और दो स्वतंत्र शासकीय गवाह शामिल रहे। लोकायुक्त संगठन ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करे, तो तत्काल लोकायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।

जनजातीय कार्य विभाग के दफ्तर में मचा हड़कंप

सहायक आयुक्त के जनजातीय कार्य विभाग में लोकायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई के बाद विभाग के अमले में जहां हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सहायक आयुक्त की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि परेशान भृत्य सहायक आयुक्त से भी अपनी फरियाद सुना चुका था, इसके बावजूद वेतन वृद्धि नही लगाई जा रही थी। लोगों के बीच चर्चाएं हैं कि सहायक आयुक्त का भी लिपिक पर संरक्षण है। शायद इसीलिए लिपिक भटक रहा है। अब उक्त कार्रवाई से उक्त विभाग के अधिकारी समेत अन्य अमले पर तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे भी आदिवासी विकास विभाग पूर्व से ही सामग्रियों के क्रय को लेकर चर्चाओं में बना रहा है।

कुएं में मिला बुजुर्ग 90 वर्षीय महिला का शव

महिला के साथ मारपीट का लगा है आरोप, जांच में जुटी पुलिस

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 29 मई। पुलिस चौकी खुटार के गहिलरा गांव की एक 90 वर्षीय महिला का आज शुक्रवार की सुबह गांव के ही एक कुएं में उफनाता हुआ शव मिला है। मृतिका के मायके पक्ष वालों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस उक्त मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

जानकारी के अनुसार ग्राम गहिलरा निवासी बुधनी शाह पति स्व. रामबहोस शाह उम्र 90 वर्ष का शव घर के समीप कुएं में शुक्रवार की अल सुबह करीब 5 बजे उफनाता हुआ शव मिला है। पुलिस चौकी खुटार में राजेन्द्र कुमार शाह ने सूचना दिया कि दादी बुधनी शाह अक्सर बीमार रहती थी, उसका शव संभवत: कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। इधर सूत्र बताते हैं कि दो दिन पहले बुजुर्ग महिला के साथ उसी के परिजनों ने मारपीट करते हुये घर से निकाल दिये थे और व पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। मायके पक्ष वालों ने इसपर शक जाहिर करते हुये निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।

जिला चिकित्सालय पहुंचे उप संचालक स्वास्थ्य

अस्पताल का राउण्ड लेने के बाद कलेक्टर से की मुलाकात

नवभारत न्यूज
सतना 29 मई. उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. वैभव जैन शुक्रवार को सतना पहुंचे. जहां पर उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए औपचारिक जानकारी ली. इसी कड़ी में जिला कलेक्टारेट पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर से भी मुलाकात की.

उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और नवनियुक्त ऑफिस इन चार्ज डॉ. वैभव जैन शुक्रवार की सुबह जिला चिकित्सालय पहुंचे. जहां पर उन्होंने सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह सहित अन्य चिकित्सकों से भेंट करने के बाद चिकित्सालय का राउण्ड लिया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की औपचारिक समीक्षा की. अस्पताल के वार्ड और गलियारे का निरीक्षण करते हुए डॉ. जैन अस्पताल के स्टोर रुम में भी पहुंचे. जहां पर दवाओं की उपलब्धतता के संबंध में जानकारी ली. कुछ देर तक अस्पताल ममें रहने के बाद डॉ. जैन जिला कलेक्टारेट चले गए. जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार यस से भेंट करते हुए जिला चिकित्सालय की आद्यतन जानकारी साझा की.

औपचारिक निरीक्षण में पहुंचे

गौरतलब है कि उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. वैभव जैन को हाल ही में ओआईसी नियुक्त किया गया है. जिसके चलते वे शुक्रवार को औपचारिक तौर पर जिला चिकित्सालय पहुंचे थे. बताया गया कि उनके निरीक्षण को लेकर न तो किसी तरह की रुपरेखा सामने आई और न ही उनका फोकस किसी एजेंडा विशेष को लेकर दिखाई दिया.

मानकों में लापरवाही पर संजीवनी हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज
सतना 29 मई. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला द्वारा बस स्टैंड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल का पंजीयन एवं अनुज्ञापन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में चिकित्सक एवं स्टाफ अनुपस्थित मिले, वहीं सफाई व्यवस्था एवं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई मध्यप्रदेश उपचर्यागृह एवं रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 के तहत की गई। साथ ही नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगाते हुए वर्तमान मरीजों को अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में रेफर करने के निर्देश दिए गए।

रीवा शहर में पीएनजी कनेक्शन की सुविधाएं पाइप लाइन से घर-घर पहुंचेगी गैस

नवभारत न्यूज
रीवा 29 मई. रीवा शहर में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित पाइप्ड नेचुरल गैस ;पीएनजीद्ध सेवा का विस्तार किया जा रहा है। रीवा के दर्जनों मोहल्लों और कॉलोनियों में इस सेवा का सफल संचालन किया जा रहा हैए जिसका लाभ अब लगातार अधिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिल रहा है।

पीएनजी सेवा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी निरंतरता और सुरक्षा है। जिससे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग एवं आपूर्ति से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलती है। यह गैस हवा से हल्की होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से बेहद भरोसेमंद मानी जाती है और एलपीजी के मुकाबले काफी किफायती भी है। सीधे पाइपलाइन से चूल्हे तक पहुँचने वाली यह गैस रसोई में जगह की बचत करती है और उपयोग में भी बेहद सरल है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस विस्तार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रीवा के नागरिकों से अपील की है कि वे इस स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा विकल्प को अपनाएं। कंपनी का मानना है कि अधिक से अधिक घरों में पीएनजी का उपयोग न केवल व्यक्तिगत सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने में भी रीवा के योगदान को सुनिश्चित करेगा। नए कनेक्शन और विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक नागरिक कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों से संपर्क कर इस आधुनिक ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। कंपनी से मोबाइल नम्बर 9424836488 पर अथवा कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

पोस्ट ऑफिस तिराहा पर जमकर चले लाठी-डंडे

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 29 मई। कोतवाली थाना बैढ़न के से चन्द कदम दूर पोस्ट ऑफिस तिराहे पर आज शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे मारपीट की घटना सामने आई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचा और दूसरे युवक की सरेआम पिटाई शुरू कर दी। हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी आसपास मौजूद थे, लेकिन युवक दबंगई दिखाते हुए लगातार मारपीट करता रहा। घटना के दौरान तिराहे पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अपने साथ बैढ़न थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि किसी पक्ष के द्वारा देर शाम तक एफआईआर दर्ज नही कराई गई है। स्थानीय दुकानदार राकेश गुप्ता ने बताया कि पोस्ट ऑफिस तिराहे के पास शराब दुकान खुलने के बाद से क्षेत्र में आए दिन विवाद, मारपीट और झगड़े की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि शाम होते ही यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगता है, जिससे राहगीरों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी सप्ताह इस इलाके में दो बार इसी तरह के विवाद और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने बताया कि बैढ़न थाना घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहीं अंतरराज्यीय बस स्टैंड भी पास में मौजूद है। इसके बावजूद क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **सतना-गोपाल कॉम्प्लेक्स - आईआईएफएल गोल्ड लोन, दुकान नं. 22 गोपाल कॉम्प्लेक्स, एनएच 75, बस स्टैंड के सामने, सतना (म.प्र.) - 485001,** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL39064609, GL36911620, GL40488764, GL35923904, GL34396536, GL39086626, GL36980987, GL41070959, GL36967957, GL36413310, GL36419261, GL37435065, GL39681409, GL37018998, GL39699845, GL36969436, GL32886965, GL33413391, GL41782921, GL42358135, GL38849448, GL39430008, GL39421549, GL42454065, GL34024347.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: सतना

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

पत्नी की हत्या कर शव जंगल में फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार

▶ मासूम बेटी को धमकाने के दौरान खुला राज

नवभारत न्यूज
सीधी, 29 मई. पत्नी की हत्या कर शव जंगल में फेंकने वाले आरोपी को कुसमी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मासूम बेटी को धमकाने के दौरान सनसनी खेज राज का खुलासा हुआ।

पुलिस के अनुसार फरियादी रमेश बैगा निवासी ग्राम कुन्दौर ने थाना कुसमी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24 मई 2026 को वह गांव में अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उसने अपने भाई बुद्धसेन बैगा को अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी लक्ष्मी बैगा के साथ किराना दुकान पर बैठे देखा। बच्ची के रोने पर आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि जैसे तुम्हारी मां गुड़िया को मारकर खोह में फेंक दिया, वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा। यह सुनते ही फरियादी को संदेह हुआ। आरोपी से पूंछताछ करने पर उसने जंगल में शव फेंकने की बात कही। फरियादी जब गांव के ही

अमरजीत बैगा के साथ दुबाहिया जंगल स्थित मान डोगरी मादा पहुंचा तो वहां एक कंबल में बधा शव मिला, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। शव की पहचान आरोपी की पत्नी गुड़िया बैगा के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही थाना कुसमी पुलिस ने मामला दर्ज कर धारा 103(1), 238(क) बीएनएस के तहत अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी कुसमी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक अरूणा द्विवेदी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बुद्धसेन बैगा पिता बाल्मीक बैगा उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम कुन्दौर को गिरफ्तार कर पूंछताछ की गई । पूंछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर घटना के समय पहने कपड़े एवं हत्या में प्रयुक्त सामग्री बरामद कराया जिसे जप्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कार्रवाई में इनकी रही भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक अरूणा द्विवेदी, सउनि नन्दप्रकाश सिंह, दिलीप कुमार रावत, प्रआर हृदयलाल दीवान, बलवीर नीखरे, आरक्षक दिनकर दुबे, उमेश द्विवेदी, शिवराम वैस, अभिषेक मिश्रा, नितेश सिंह एवं डायल-112 चालक प्रणव पाठक का सराहनीय योगदान रहा।

एसडीएम ने दुकानों का किया औचक निरीक्षण

नवभारत न्यूज
सीधी, 29 मई. तहसील कार्यालय रामपुर नैकिन के बाहर संचालित रजिस्ट्री लेखकों, स्टाम्प वेंडरों एवं अर्जी नवीसों की दुकानों का एसडीएम विकास कुमार आनंद ने औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान चेक किया गया कि क्या सेवाएं किस रेट से दी जा रही है। सभी को रेट लिस्ट लगाने हेतु निर्देशित किया गया।रजिस्ट्री

लेखकों से इनके सर्विस प्रोवाइडर का लायसेंस चेक किया गया । एसडीएम के निरीक्षण से रजिस्ट्री लेखकों एवं स्टाम्प वेंडरों सहित अर्जी नवीसो में खलबली मच गई है। एसडीएम के निरीक्षण में पाया गया कि नगर परिषद से दुकान चलाने की एनओसी संबंधितो के पास नहीं थी । एनओसी लेने के लिए भी बोला गया है। साथ ही दुकानों में आवेदक के बैठने एवं पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से रखने के लिए कहा गया । वही लोगों का कहना था कि दुकानों में में रेट सूची लगाना सबसे आवश्यक है। अभी शिकायतें आ रही कि एक पेज के आवेदन लिखने के लिए ही आवेदक से 100 रुपए ले लिए जाते है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार औचक निरीक्षण आगे भी करने की आवश्यकता है जिससे मनमानी पर अंकुश लग सके।

बेकाबू बोलेरो वाहन खड़े ट्रेलर से टकराई

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 29 मई। सरई थाना क्षेत्र के भलैयाटोला बर्दियाडोल गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो वाहन खड़े दो दिन से ट्रेलर के पीछे जा घुसी।

टक्कर के बाद बोलेरो में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वाहन जलकर राख हो गया। बोलेरो में सवार सवारी एवं चालक बाल-बाल बच गये। चर्चा है कि चालक शराब के नशे में थे। जानकारी के अनुसार बर्दियाडोल गांव के भलैया टोला सड़क मुख्य मार्ग में एक ट्रेलर वाहन पिछले दो दिनों से खराब होने के कारण सड़क के किनारे चालक ने खड़ा कर दिया। जहां गुरूवार की रात करीब 9 बजे एक बेकाबू बोलेरो चालक ने पीछे से ट्रेलर वाहन को इतना जोर टक्कर मारा कि बोलेरो वाहन में भीषण आग लग गई। आग के लपटो को देख उसमें सवार आधा दर्जन सवारी एवं चालक कूद कर अपनी जान बचाने में सफल रहे।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **रीवा-कॉलेज रोड, आईआईएफएल गोल्ड लोन, पहली मंजिल, 17-35, जॉन टॉवर के पास, सिंडिकेट बैंक के ऊपर, कॉलेज रोड रीवा - 486001 (म.प्र.),** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL39237952, GL37279745, GL38399721, GL33186181, GL33559377, GL36196339, GL36175069, GL39451059, GL39113878, GL41293854, GL41263216, GL38089406, GL39139463, GL35411563, GL36978302, GL35409544, GL34519842, GL34529766, GL35184618, GL33438966, GL37323872, GL37328445, GL41451550, GL41694933, GL41090400, GL36196023, GL36174773, GL33629256, GL33643186, GL38763742, GL36455691, GL36456996, GL39141367, GL38213760, GL39032871, GL38887014, GL28227000, GL35179951, GL34235706, GL31266518, GL17528848, GL39484367, GL39489794, GL34018139, GL19565230, GL35331047, GL36696092, GL32969896, GL35226134.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: रीवा

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

विस्थापन में दिखी रफ्तार, पुनर्वास को लेकर प्रशासन और प्राधिकरण गंभीर

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 29 मई। सीएम डॉ. मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के बाद मोरवा विस्थापन एवं पुनर्वास योजना को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं।

सिंगरौली महोत्सव पर जिला मुख्यालय में आये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रवास के बाद नव नियुक्त सीडा अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मोरवा के विस्थापितों को बेहतर सुविधाओं के साथ व्यवस्थित पुनर्वास उपलब्ध कराना प्राथमिकता में है। जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने सिंगरौली प्रवास के दौरान सिंगरौली के संपूर्ण विकास के साथ-साथ मोरवा विस्थापन को लेकर स्पष्ट रूप से कहा था कि क्षेत्र के लोगों को सुविधायुक्त और सुनियोजित शहर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने भी तेजी दिखाते हुए पुनर्वास योजना को अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को रीवा कमिश्नर बीएस जामोद और कलेक्टर गौरव बैनल समेत एसडीएम सुरेश जादव ने

मोरवा पहुंचकर जयंत खदान क्षेत्र समेत वार्ड क्रमांक 10 का निरीक्षण किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने एनसीएल जयंत परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया तथा एनसीएल गेस्ट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पुनर्वास एवं विकास संबंधी संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। वहीं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने और विकास कार्यों को गति देने के निर्देश भी दिए गए।

न्यू मोरवा बसाने की तैयारी : वीरेंद्र

वहीं नव नियुक्त सीडा अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने भी मोरवा विस्थापन को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। मोरवा निवासी होने के कारण वे स्थानीय लोगों की भावनाओं और समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। उनका मानना है कि शहर का विलोपन नहीं बल्कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया और व्यवस्थित मोरवा बसाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से वे लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें धरातल पर उतारने के प्रयासों में जुटे हैं। विस्थापितों के लिए सिंगरौली मुख्यालय क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यू मोरवा बसाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे के महज एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन और प्राधिकरण की सक्रियता से स्थानीय लोगों में पुनर्वास को लेकर नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहे मोरवा क्षेत्र के नागरिक अब इस उम्मीद में हैं कि पुनर्वास योजना जल्द ही धरातल पर उतरकर उन्हें बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99